

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम


ई.एम.आई. केम्पस, जे-8-बी, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004 (राजस्थान)

क्रमांक: आरएसएलडीसी/प्रशा./कोविड/का.आ./ 33268

दिनांक: 15/4/2021

कार्यालय आदेश

गृह (गुप-9) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह-9/2019 जयपुर, दिनांक 14.04.2021 द्वारा जारी किये गये आदेश की अनुपालना में निगम मुख्यालय पर प्रतिनियुक्त पर पद स्थापित राजकीय अधिकारियों/कार्मिकों एवं सेवाप्रदाता फर्म यथा पीएमसीए मैसर्स ग्रांड थोरन्टन भारत/मैसर्स जिला पूर्व सैनिक बहुददेशिय सहकारी समिति लिमिटेड, कोटा/मैसर्स आईपीएआई के 50 प्रतिशत कार्मिकों को रोटेशन के आधार पर दिनांक 16.04.2021 से 30.04.2021 तक कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। अत्यावश्यकता की स्थिति में Work from Home होने पर भी निगम कार्यालय में बुलाये जाने पर उपस्थित होना आवश्यक है। अन्य दिशानिर्देश गृह (गुप-9) विभाग राजस्थान सरकार के समसंख्यक आदेश दिनांक 31.03.2021, 04.04.2021 एवं दिनांक 09.04.2021 द्वारा जारी की गई गाईडलाईन के अनुरूप होंगे।



(करतार सिंह)

महाप्रबन्धक (प्रशासन)

क्रमांक: आरएसएलडीसी/प्रशा./कोविड/का.आ./ 33268-274
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 15/4/2021

1. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष, महोदय, आरएसएलडीसी, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आरएसएलडीसी, जयपुर।
3. महाप्रबंधक-I/II/III, आरएसएलडीसी, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी/समस्त उपमहाप्रबंधक आरएसएलडीसी, जयपुर।
5. समस्त प्रबंधक/सहायक प्रबंधक/सहायक लेखाधिकारी/कनिष्ठ लेखाकार/समस्त सूचना सहायक एवं वाहन चालक, आरएसएलडीसी, जयपुर।
6. पीएमसीए मैसर्स ग्रांड थोरन्टन इण्डिया/मैसर्स जिला पूर्व सैनिक बहुददेशिय सहकारी समिति लिमिटेड, कोटा/मैसर्स आईपीएआई को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार के संदर्भित आदेशानुसार अग्रिम आदेशों तक 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति रोटेशन के आधार पर एवं शेष 50 प्रतिशत कार्मिकों को work from Home हेतु संबंधित प्रभारी अधिकारी के निर्देशन में आवंटित कार्य सम्पादित करना सुनिश्चित करावें।
7. केयर टेकर-प्रथम, द्वितीय को निर्देशित किया जाता है कि कार्य स्थल पर राज्य सरकार के संदर्भित आदेशानुसार कोविड-19 के प्रबंधन हेतु जारी सामान्य सुरक्षा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
8. रक्षित पत्रावली।



महाप्रबंधक (प्रशासन)